# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः–305/2017/225 आर.टी.एक्ट (2017/00305)**

श्योजी पुत्र रूपा मृतक जरिए वारिसान–

1. पूसाराम पुत्र फौत जरिए वारिसान–
   1/1 फूलचंद पुत्र पूसाराम
   1/2 भागचंद पुत्र पूसाराम
   1/3 धरतीराज पुत्र पूसाराम
   1/4 इन्द्र पुत्री पूसाराम पत्नि धोलू
   1/5 प्रेम सिंह पुत्र साबा पुत्री पूसाराम पत्नि रतन
   1/6 रतन सिंह पति साबा पुत्री पूसाराम
   1/7 गज्जो पुत्र साबा पुत्री पूसाराम पत्नि रतन
   1/8 मनसा पुत्री साबा पुत्री पूसाराम पत्नि रतन
2. हरदेव पुत्र श्योजी
3. रामकरण पुत्र श्योजी
4. गीता पुत्री श्योजी पत्नी नानू जाति रावत निवासी जालीखेडा जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर जाति रावत निवासी ग्राम सालरमाला ग्राम पंचायत किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. श्री नानू पुत्र रूपा जी मृतक जरिए वारिसान–
   1/1 राजू पुत्र
   1/2 पप्पू उर्फ भीया पुत्र
   1/3 फुलचंद पुत्र
   1/4 सोहन पुत्र मृतक जरिए वारिसान–
   1/4/1 गीता बेवा
   1/4/2 सांवरा पुत्र
   1/4/3 मुकेश पुत्र
   1/4/4 गंगाराम पुत्र
   1/4/5 दिनेश पुत्र
2. बाघा पुत्र रूपा जी रावत
3. तेजा पुत्र हरजी रावत मृतक जरिए वारिसानः–
   3/1 कमला बेवा
   3/2 शंभू पुत्र
   3/3 पांचू पुत्र समस्त जाति रावत निवासी ग्राम सालरमाला ग्राम पंचायत किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा राजस्व वाद संख्या 32/2012**

**उपस्थितः–**

1. श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, नरसिंह रावत अभिभाषक अपीलांट

2. श्री सलीम मौहम्मद अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4/5, 3/1 से 3/3 अनुपस्थित

# निर्णय

**दिनांकः—10.06.2025**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2012 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी मसूदा के न्यायालय में विरुद्ध प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा सालरमाला तहसील मसूदा के खाता संख्या 102 खसरा नम्बर 903 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा बारानी—2 के भूमि वादी को अपने भाई बंट मे प्राप्त हुई है जिस पर वादी तन्हा काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकोर्ड में इंद्राज दुरस्त नहीं है जिसे दुरस्त कर वादी को तन्हा खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे इस पर दिनांक 01.03.12 को वाद दर्ज किया गया एंव वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि गई त्तपश्चात् वाद तलबी एंव जवाब मे नियत रहा इसी दौरान वादी के अभिभाषक ने 19.01.17 को न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या एक नानू के फौत होने कि सुचना प्रदान कि जिस पर न्यायालय द्वारा कायम मुकाम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये परन्तु वादी/अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा वादी को मात्र तारीख पेशी प्रदान कि गई परन्तु कभी भी कायम मुकाम कार्यवाही बाबत् कथन नहीं किया गया तथा वाद विचाराधीन रहा तथा दिनांक 02.08.17 को वाद को अदम अदुली मे खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2012 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4/5, 3/1 से 3/3 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी वाद प्रस्तुत किए जाने पर प्रार्थी के वकिल द्वारा प्रार्थी से कहा कि तुम्हें प्रत्येक तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है तथा जरूरत होने पर तुम्हें सूचना दी जाकर बुला लिया जाएगा इस पर प्रार्थी इस सदभाविक विश्वास में रहा कि जरूरत होने पर वकील साहब सूचना देकर बुला लेगें। आपसी साजिश एवं लापरवाही के कारण प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा समय पर कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करवाई गई प्रार्थी को मात्र तारीख पेशी प्रदान कि गई गत दिनों प्रतिवादी बाघा द्वारा दब बल सहित कब्जा करने का प्रयास किया गया तो वादी को वाद खारिज होने की

जानकारी हुई तथा प्रार्थी अभिभाषक से मिलने गया तो उन्होंने इस बाबत अनभिज्ञता प्रकट की कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है इस पर प्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 30.11.2017 को नकल का आवेदन कर दिनांक 04.12.2017 को प्रमाणित नकल प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा आवश्यक खर्चे आदि का बंदोबस्त कर आज दिनांक 6.12.2017 को न्यायालय के समक्ष अविलंब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge***.**

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

***अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।***

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि दिनांक 19.01.2017 को वादी के अभिभाषक स्वयं ने प्रतिवादी संख्या एक नानू के फौत होने की सूचना न्यायालय को प्रदान की है तथा जिस पर न्यायालय द्वारा कायम मुकाम कार्यवाही करने के आदेश

प्रदान किये गये परन्तु वादी/अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा वादी को मात्र तारीख पेशी प्रदान कि गई परन्तु कभी भी कायम मुकाम कार्यवाही बाबत् कथन नहीं किया गया इस प्रकार वादी के वकिल ने जानबूझ कर वादी को गुमराह किया और वादी का वाद खारिज करवा दिया इसप्रकार वकिल के गलती कि सजा वादी को मिल गई जो अनुचित एंव न्याय के विरूद्ध है इसकारण उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने जो आदेश पारित किया वह विधि विरूद्ध होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। वादी/अपीलार्थी अनपढ एंव सीनीयर सीटीजन है तथा चलने फिरने मे एंव स्पष्ट देखने में असमर्थ है जिसे विधि का कतई ज्ञान नहीं है मात्र अपने अभिभाषक पर आश्वस्त रहा है तथा अभिभाषक कि लापरवाही के कारण वादी का वाद खारिज कर दिया गया है जब कि वाद में प्रार्थी के मृल्यवान हक एंव अधिकार तय होने है इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या एक नानू एंव मुख्य प्रतिवादी संख्या दो बाधा कि ओर से वकिल सलीम बाबू ने दिनांक 18.04.12 को वकालतनामा पेश किया तथा तीन तेजा कि और से अण्डरटैकिंग प्रदान कि परन्तु जवाब पेश नहीं किया एंव ना ही फौतगी कि कोई सुचना न्यायालय को प्रदान कि तथा दिनांक 29.7.15 को मुख्य प्रतिवादी बाघा कि ओर से सलीम मोहम्मद ने पावर पेश किया और बाद में जवाब भी पेश किया इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई सुचना न्यायालय को प्रदान नहीं कि गई है इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज किया कि वर्तमान प्रकरण में अंकित खातेदारी भूमि बाबत पूर्व में बंटवारा किया जा चुका था तथा भू–संशोधन कार्य जारी रहने तथा उसे मान्यता नहीं मिलने के पश्चात् बनी वर्किंग जमाबंदी में अंकन नहीं होने से जो भूमि अन्य खातेदार द्वारा जिस प्रकार से भौतिक धारण वादी को प्रदान करते हुए बंटवारा किया वह भूमि पुनः उन्हीं के नाम रह गई तथा प्रतिवादीगण भूमि को रहन, बय, मुंतकिल करने पर उतारू हैं इस कारण उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिपूर्ण था जिस कारण वादी के पक्ष मे दिनांक 01.03.2012 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारीत कि गई है तथा आपसी साजिश के तहत वाद को खारिज करवाया गया है ताकि निषेधाज्ञा निरस्त हो सके जिसका सबूत दिनांक 05.09.2017 को नामान्तकरण संख्या 535 प्रतिवादी बाघा कि पत्नि के पक्ष में बेचान का पारीत करवाया गया है तथा दौराने वाद एंव निषेधाज्ञा के भी दिनांक 02.11.16 को इंतकाल संख्या 498 पारीत किया गया है इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने आपसी साजिश को समझे बिना जो आदेश पारित किया वह अवैध होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी जी, मसूदा ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज किया कि वाद ज्यादा से ज्यादा मृतक के विरूद्ध ही खारिज हो सकता है सम्पूर्ण वाद कभी खारिज नहीं हो सकता है मुख्य प्रतिवादी बाधा कि ओर से सलीम मोहम्मद ने पावर पेश किया और बाद मे जवाब भी पेश किया तथा नानू का हिस्सा बाघा कि पत्नी ने ही क्रय किया है जो वादी के विरूद्ध बडी साजिश को प्रकट करता है इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी मसूदा ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 नानू व 3 तेजा कि मृत्यु हो जाने से वारिसान को अपील कि सूचना हेतु न्यायालय के विवेकाधीन उक्त प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब

किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2012 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2010 आरबीजे पेज 611, 2010 आरबीजे पेज 611, 1998 आरबीजे पेज 165, 2023 डीएनजे रेव0 पार्ट 01 पेज 118, 1994 आरबीजे पेज 286।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट श्योजी के जायंदा वारिसान लिखे है जो अपीलांट अधिवक्ता स्वयं अपने दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करे। अपीलांट श्योजी की मृत्यु दिनांक 23.11.2022 को हुई है और अपीलांट अधिवक्ता व पक्षकारों को जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय में दिनांक 26.9.2023 को सूचना देकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो 10 माह देरीना है। इस आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र टाईम बार्ड होने से अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत होने के आधार पर उक्त अपील ही अबेट हो जाने के आधार पर व अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत करने के कारण उपरोक्त अपील ही अबेट होने से खारिज किए जाने योग्य है। आराजी वाके ग्राम सालरमाला द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर में स्थित है इस भूमि को वादी ने अनावश्यक ही वादग्रस्त बना दिया है। इस पद में वर्णित आराजी जिसे वादी ने वादग्रस्त बनाया है उक्त आराजी उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता श्री हरजी व उसके चाचागण श्री नानू व श्योजी को आवंटन हुई थी उसके पश्चात उक्त आराजी राजस्व जमाबंदी संवत 2023 से आज दिनांक तक उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता श्री हरजी व प्रतिवादी संख्या 1 व वदी के नाम दर्ज चली आ रही है तत्पश्चात उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी विरासत में उत्तरदाता प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में प्राप्त हुई तब दिनांक से ही उक्त आराजी पर अपने अपने हिस्से पर काबिज व काश्त चले आ रहे है। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जे में दखलंदाजी करने का कतई कोई हक व अधिकार नहीं है। यह कि वाद पत्र के पद संख्या 2 जिस प्रारूप में लिखा गया हैं गलत, अस्पष्ट व भ्रामक है तथा स्वीकार नहीं हैं। यह स्वीकार हैं कि वादी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं और यह बात भी स्वीकार हैं कि वादी के पिता व उत्तरदाता प्रतिवादी के दादा के 6 सन्तानें उत्पन्न हुई थी जिसमें से कालू पुत्र श्री रूपा तो नाऔलाद फौत हो गये शेष बचे दो भाई श्री गुल्ला व मल्ला पि० रूपा प्रारम्भ से ही अलग–अलग निवास कर रहे थे और उनको राजस्थान सरकार द्वारा अलग से भूमि आंवटन की गई थी और दूसरी तरफ उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 व वादी स्वयं को अलॉटमेन्ट में प्राप्त होने के कारण शेष तीनो भाईयों को उक्त आराजी में किसी भी प्रकार से हक व अधिकार नहीं था इसलिए भाई बंटवारें में 6 हिस्से करने की आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं हुई और ना ही कभी उनका कब्जा रहा और ना ही उक्त आराजी बाबत उनके जीते–जी कभी ऐजरात हुआ। यह बात स्वीकार हैं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 1/3 1/3 हिस्से पर काबिज व काश्त चले आ रहे हैं तत्पश्चात उत्तरदाता प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी में अपने पिता के हक हिस्से के आधार पर उत्तरदाता प्रतिवादी व प्रतिवादी

संख्या 3 को विरासत में अपना हिस्सा प्राप्त हुआ जो 1/6 1/6 जिस पर वर्तमान में काबिज व काश्त हैं। यह कहना गलत हैं कि उत्तरदाता प्रतिवादी की वादी के हक हिस्से पर गलत नियत व गलतफहमी रही हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 02.08.2017 को कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम अतुली में सव्यय खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017 बिना किसी गुणावगुण पर प्रकरण का मूल रूप से निस्तारण नहीं कर मात्र तकनीकि आधार पर वाद को खारिज किया गया है जो कि न्याय की मंशा के विपरीत है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण तकनीकि बिंदु पर कर निर्णय को बिना अवलोकन के आदेशिका में लिखा गया है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 नानू फौत हो गए थे, उनकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 19.01. 2017 को वादी अभिभाषक द्वारा प्रदान कर दी गई थी परंतु वादी अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम की कार्यवाही में देरी की गई। उक्त प्रकरण में यह बात स्पष्ट है कि मृतक की कायम मुकाम की कार्यवाही वादी के अभिभाषक को करनी थी जो कि उनके द्वारा समय पर नहीं की जा सकी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक की भूल या लापरवाही से पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता है चूंकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन किया गया है कि वह एक सिनियर सिटिजन है व अनपढ है देखने चलने में भी सक्षम नहीं है तो इससे यह बात स्पष्ट है कि अपीलांट को विधि का कतई ज्ञान नहीं था व वादी के अभिभाषक को विधिक व तकनीकि ज्ञान था परंतु इसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं की गई तो इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय को अभिभाषक की गलती की सजा अपीलांट को दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने तकनीकि बिंदु के आधार पर संपूर्ण वाद को ही अबेट किया गया जो कि एक विधिक त्रुटि है अधीनस्थ न्यायालय को वाद को तकनीकि बिंदु पर नहीं निर्णित कर वाद का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय नियमों को दरकिनार करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक त्रुटि हुई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2012 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को जवाब व सुनवाई का

समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण पुनः गुणावगुण पर करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

11. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**